

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 408 / 15

संस्थित दिनांक-28.11.15

फाईलिंग नंबर-230303019642015

- 1- पप्पू उर्फ महेश पुत्र होरीलाल वाल्मीक
उम्र 29 साल
- 2- विनोद पुत्र होरीलाल वाल्मीक उम्र 26 साल
- 3- प्रकाश पुत्र होरीलाल वाल्मीक उम्र 39 साल
- 4- बिजेन्द्र पुत्र होरीलाल वाल्मीक उम्र 27 साल
5. होरीलाल पुत्र गैदालाल वाल्मीक उम्र 54 साल
निवासीगण ग्राम सैथरी थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थीगण / आरोपीगण

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थीगण / आरोपीगण द्वारा श्री गिराज भट्टेले अधिवक्ता

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-201 / 2011 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 06.11.2015 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

--- निर्णय ---

(आज दिनांक 30.06.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण / आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 201 / 2011 निर्णय दिनांक-06.11.2015 को धारा-294 भादसं एवं आहत सावित्री के संबंध में धारा-323 भादसं एवं आरोपी बृजेन्द्र, विनोद एवं पप्पू उर्फ महेश के विरुद्ध धारा-324 / 34 भादवि के आरोपों से दोषमुक्त किया गया किन्तु आरोपी प्रकाश को धारा-324 भादसं में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड से आरोपी होरीलाल को धारा-324 / 34 भादवि में छः माह के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड से एवं शेष आरोपीगण को धारा-323 भादसं के आरोप के लिये छः माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी / अपीलार्थी होरीलाल फरियादी कैलाश का सगा भाई है। यह भी स्वीकृत है कि अन्य आरोपी / अपीलार्थीगण होरीलाल के पुत्र हैं और घटना की बताई गई दूसरी आहत

सावित्री बाई फरियादी कैलाश की पत्नी है। तथा यह भी स्वीकृत है कि मकान के विवाद पर से आरोपीगण एवं फरियादीगण के बीच आपस में पूर्व से रंजिश चली आ रही है तथा दोनों पक्ष एक ही स्थान पर एक ही ग्राम में रहते हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 21.03.11 को शाम लगभग 7.00 बजे फरियादी कैलाश के मकान के सामने स्थित ग्राम सैथरी में आरोपीगण द्वारा फरियादी कैलाश से गाली-गालैच करने, उसकी धारदार आयुध धारिया, लाठी डण्डों से एवं लात घूसों से एवं उसकी पत्नी सावित्री की लाठी से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी कैलाश द्वारा उसी दिनांक शाम 7.45 बजे थाना मौ पर की जाने पर थाना मौ पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई और फरियादी एवं आहत का मेडिकल कराया गया। तथा फरियादी कैलाश की मेडिकल रिपोर्ट में किसी धारदार आयुध से चोट का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-51/11 धारा-504, 323, 324/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी पप्पू उर्फ महेश के विरुद्ध धारा-294, 323 एवं 324/34 भादवि एवं शेष आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294 एवं, 324/34 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपीगण को निर्णय के पद क्रमांक-1 अनुसार दण्डित किया जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलार्थीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अ0सा0-1 कैलाश ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण को रिश्ते में परिवार के होना बताते हुए घटना ब्यौरा दिया है किन्तु किसी भी स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं कराया गया है। केवल फरियादी कैलाश एवं उसकी पत्नी सावित्री का कथन कराया गया है। गांव का चौकीदार मौके पर मौजूद था जिसका कथन नहीं कराया गया है। फरियादी और आरोपीगण का हिस्सा व बस्ती को लेकर विवाद चल रहा है। जिस पर से यह झूठी कहानी बनाकर रिपोर्ट कराई गई है जिसे साक्षी सावित्री अ0सा0-2 ने स्वीकार भी किया है। तथा उसके पति के मन में यह बात होना स्वीकार किया गया है कि उन्हें होरीलाल व उसके परिवार को ठिकाने लगाना है, हिल्ले लगाना है जो उनकी मनः स्थिति को स्पष्ट दर्शाता है। डॉ0 बी0 अर्गल ने सावित्री का परीक्षण दिनांक 21.03.11 को सुबह दस बजे किया गया था जबकि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक 21.03.11 के सात बजे की है। जबकि यह संभव नहीं है। इसी प्रकार आहत कैलाश के परीक्षण में भी बताया है। तथा उक्त चिकित्सक ने कोई व्यक्ति यदि नशे की हालत में पत्थर पर टकराकर गिरे तो उसे चोट क्रमांक-2 आना संभव है। जिससे फरियादी के भांग के नशे में पत्थर पर गिरने से चोट आई है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। तथा चोटों के स्थान में व आयुधों के बारे में भी भिन्नता है। तथा प्र0पी0-1 में सूचना प्राप्त होने के समय में काटपीट की गई है। फरियादी के भांग पीने के संबंध में भी आक्षेप किये गये हैं किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है जो विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को

दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया ।

8. आरोपी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूलतः अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दु औरलिये गये आधारों के अनुरूप ही मौखिक तर्क किये हैं जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर बल दिया है कि आरोपगण और फरियादीगण की रंजिश है और रंजिश के कारण झूठा मामला बनाया गया है। क्योंकि घटना होली की दौज की है और फरियादी कैलाशबताई गई घटना वाले दिन रंगभंग खेलकर अपने घर लौटा था और वह चबूतरा पर पैर फिसल जाने से गिर गया जिससे उसे चोटें आई तथा उसने पुरानी रंजिश को भुनाते हुए पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट कर दी। चिकित्सक ने भी कैलाश की चोटें गिरने पर आने की संभावना व्यक्त की है। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दृष्टिओझल किया है। तथा घटना का किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है। चौकीदार भगवानसिंह ने घटना का कोई समर्थन नहीं किया है। जिसे चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। फरियादी कैलाश द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में जहानसिंह व काशीप्रसाद का भी मौके पर आना बताया गया है। जिनमें से किसी को भी अभियोजन की ओर से न तो साक्षी बनाया गया है न ही किसी को अभियोजन की ओर से पेश किया गया है।

9. आरोपी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि स्वयं पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य मुताबिक फरियादी कैलाश का मेडिकल परीक्षण रात 9.55 बजे हुआ। जबकि वह रात के 12.45 बजे थाने पर रिपोर्ट करना और उसके बाद मेडिकल परीक्षण डॉ० बी०अर्गल के निवास पर जाकर कराना कहता है। उसके पूर्व कोई मेडिकल नहीं हुआ। इससे भी घटना असत्य हो जाती है। एवं फरियादी कैलाश और उसकी पत्नी सावित्री के ही अभिलेख पर कथन है जिनके कथनों में गंभीर स्वरूप के विरोधाभाष हैं जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्लेषित नहीं किया है। सावित्री अ०सा०-2 ने यह स्वीकार किया है कि उसके व उसके पति के मन में आरोपीगण को ठिकाने लगाने की बात थी तथा सावित्री ने झूठा मामला बनवाया जाना भी स्वीकार किया है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। जबकि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिये कोई अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है और मामला बस्ती और मकान को लेने के लिये झूठा बनवाया गया है। जो चोटें बताई गई हैं उनका भी चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं है। उत्पन्न विरोधाभाष और विषंगतियों के स्पष्टीकरण हेतु अभियोजन की ओर से विवेचक और रिपोर्ट लेखकर्ता को पेश नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत किये गये बचाव साक्षी ने फरियादी का पैर फिसलने पर फरियादी कैलाश को सिर

में चोट लगजाने की साक्ष्य दी है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। यह तर्क भी किया गया है कि होली के त्यौहार में रंग गुलाल से खेला जाता है और भांग पी जाती है। जो फरियादी कैलाश ने भी स्वीकार किया है। तथा फरियादी कैलाश भांग पीकर ही आया और गिर पड़ा था। इन परिस्थितियों में आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं था किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य के विपरीत आरोपी प्रकाश को धारा-324 भादवि में, होरीलाल को धारा-324/34 भादवि में एवं शेष आरोपी/अपीलार्थीगण को धारा- 323 भादवि के अपराध के लिये दोषसिद्ध मानने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। जबकि अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा को अपास्त कर आरोपी/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जावे और अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

10. उक्त तर्कों का विद्वान एजीपी ने विरोध करते हुए यह तर्क किया है कि फरियादी और साक्षी ग्रामीण परिवेश के हैं। आरोपी निम्नवर्गीय समाज के व्यक्ति हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है और सार रूप में उन्होंने घटना का स्पष्ट विवरण बताया है जिससे आरोपीगण के द्वारा अकारण मारपीट किया जाना प्रमाणित है। फरियादी कैलाश भांग पिये हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बचाव साक्षी ने भी कोई समर्थन नहीं किया है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह उचित व विधिसम्मत है इसलिये अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण की की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा स्थिर रखी जावे।

11. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर अभियोजन का कथा सार प्र0पी0-1 की पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य रिपोर्ट के अनुसार इस आशय की बताई गई है कि घटना होली के समय की है और दिनांक 21.03.11 को शाम के करीब सात बजे जब फरियादी कैलाश गांव में होली खेलकर अपने घर पहुंचा था तो आरोपी/अपीलार्थी होरीलाल व उसके लडके प्रकाश मिले। होरीलाल ने उससे कहा कि उसके समधी को गालियाँ क्यों दी थीं जिस पर कैलाश ने मना किया कि मैंने गालियाँ नहीं दीं। इसी बात पर होरीलाल ने उसे पीछे से पकड़ लिया और प्रकाश ने सामने से उसे धारिया सिर में मारा जिससे चोट आकर खून निकला। विनोद ने दांये हाथ की कलाई में लाठी मारी। उसकी पत्नी बचाने आई तो उसे भी पप्पू ने सिर में लाठी मारी। बृजेन्द्र ने लात घुंसी से मारा। चौकीदार भगवानसिंह ने घटना को देखा और बीच बचाव किया। इस तरह से जहानसिंह व काशीप्रसाद कथानक मुताबिक घटना के साक्षी ही नहीं हैं न ही चक्षुदर्शी साक्षी बताये गये हैं इसलिये उन्हें अनुसंधान के दौरान साक्षी के रूप में समायोजित न करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जायेगा और कैलाश अ0सा0-1 के द्वारा पैरा-7 में जहानसिंह और काशीप्रसाद के आकर बीच बचाव करने की बताई गई अतिरिक्त बात का प्रभाव प्रकरण में नहीं माना जा सकता है। चौकीदार भगवानसिंह अ0सा0-3 के रूप में परीक्षित हुआ है और उसने किसी प्रकार का कोई झगडा देखने, बीच बचाव करने या उसके संबंध में पुलिस को बयान देने से स्पष्टतः इन्कार कर प्र0पी0-3 का ए से ए भाग का कथन 'दिनांक -----गया था' लिखाने से इन्कार किया है। इस तरह से घटना का चक्षुदर्शी साक्षी से कोई समर्थन नहीं है और अभिलेख पर चिकित्सक के अलावा घटना के बताये गये दोनों पीड़ित कैलाश अ0सा0-1 व सावित्री अ0सा0-2 ही परीक्षित हैं जो कि पतिपत्नी होकर हितबद्धता रखते हैं। तथा स्वीकृत तौर पर आरोपी/अपीलार्थीगण से उनकी पुरानी रंजिश भी है किन्तु रंजिश के बिन्दु पर से संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अग्राह्य नहीं

किया जा सकता है। क्योंकि रंजिश का बिन्दु एक ऐसी दुधारू तलवार की तरह होता है जो दोनों तरफ से वार करती है अर्थात् जहाँ एक ओर रंजिशन झूठा फंसया जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभावना रहती है कि रंजिश के कारण ही घटना कारित की जावे। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **रुली एवं अन्य वि० हरियाणा राज्य 2002 एस०सी० (क्रिमिनल) पेज 1837** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये रंजिश के बिन्दु के आधार पर साक्षियों की अभिसाक्ष्य को पूरी तरह से अग्राह्य नहीं माना जा सकता है। यह अवश्य है कि उनकी अभिसाक्ष्य का अत्यंत सूक्ष्मता से एवं सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो जाता है। क्योंकि अन्य कोई साक्ष्य पेश ही नहीं हुई है। ऐसी देशा में अ०सा०-1 व 2 के अभिसाक्ष्य का और अधिक सूक्ष्मता से मूल्यांकन करना होगा।

12. विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुताबिक आरोपी/अपीलार्थीगण को सावित्री अ०सा०-2 के संबंध में दोषसिद्ध कर दण्डित नहीं किया गया है और सावित्री के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई काउण्टर दाण्डिक अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिये सावित्री के संबंध में प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता नहीं है और मूलतः फरियादी और आहत कैलाश के संबंध में ही यह मूल्यांकित किया जाना है कि अभियोजन का बताया गया मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है अथवा नहीं।

13. डॉ० बी० अर्गल अ०सा०-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आहत कैलाश के संबंध में इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 21.03.11 को सी०एच०सी० मौ में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था तब उसने रात 9.55 बजे आहत कैलाश को पुलिस थाना मौ के सैनिक भईयालाल के द्वारा लाये जाने पर उसकी चोटों का परीक्षण करते हुए सिर के आगे के भाग में मध्य लाईन पर डेढ़ गुणित आधा इंच का त्वचा की गहराई तक कटा हुआ घाव जिस पर रक्त जमा हुआ पाया था और दाहिनी भुजा पर कलाई के दो इंच उपर 1 गुणित आधा इंच का नीलगू निशान दबाने पर दर्द की शिकायत पाई थी। जिसकी उसने प्र०पी०-4 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त चिकित्सक के मुताबिक सिर के कटे हुए घाव की चोट सख्त व धारदार हथियार की पहुंचाई गई होकर साधारण प्रकृति की थी। तथा चोट क्रमांक-2 सख्त व मौथरी वस्तु की होकर साधारण थी जिसका एकसरे करने पर कोई अस्थिभंजन नहीं पाया गया था। दोनों चोटों परीक्षण से चौबीस घण्टे के भीतर की उसने पाई थीं। परीक्षण के समय कैलाश भांग पिये था या नहीं पिये थे यह बताने में असमर्थता व्यक्त की है। प्र०पी०-4 की एम०एल०सी० रिपोर्ट मुताबिक आहत कैलाश के किसी भी प्रकार के नशे में होने का उल्लेख नहीं है। और आहत को घटना दिनांक को उपरोक्त वर्णित दोनों चोटें शरीर पर विद्यमान थीं। तथा घटना परीक्षण दिनांक को ही शाम 7.00 बजे की बताई गई है। चिकित्सक से ऐसी कोई राय नहीं ली गई है कि कैलाश की चोटें 24 घण्टे के अंदर किसी निश्चित अवधि की संभावित थी या छः घण्टे से अधिक पुरानी थी। क्योंकि कथानक अनुसार फरियादी कैलाश का परीक्षण घटना कारित होने से तीन घण्टे के भीतर हुआ है। ऐसी स्थिति में जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय की आहत कैलाश की चोटें संभावित परिलक्षित होती हैं।

14. फरियादी कैलाश की उत्पन्न चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की हैं या नहीं, इस बारे में डॉ० बी०अर्गल अ०सा०-4 के द्वारा पैरा-4 में यह तो स्वीकार किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में पत्थर से टकराकर या कहीं गिर जाये तो कैलाश की चोट क्रमांक-2 आना संभव है। किन्तु चोट क्र०-1 के संबंध में चिकित्सक ने गिरने पर आने की संभावना व्यक्त नहीं की है। न ही चोट क्र०-1 के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई सुझाव चिकित्सक को दिया गया जबकि बचाव पक्ष द्वारा यह आधार लिया गया था कि कैलाश रंगभंग खेलकर घर आया और चबूतरे पर पैर फिसल जाने से गिर गया जिससे उसे चोटें आईं। और इसके संबंध में बचाव पक्ष की ओर से ग्राम के ही राजू नामक व्यक्ति को ब०सा०-1 के रूप में पेश किया गया है जिसने भी चबूतरे पर से पैर फिसल जाने से कैलाश के गिर जाने की बात मुख्य परीक्षण में बताई है। किन्तु बचाव साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्थिर नहीं है। पैरा-4 में उसने यह स्वीकार किया है कि कैलाश को उसने न तो होली खेलकर आते देखा न ही भांग पीकर आते देखा। तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कैलाश चबूतरे से फिसल गया था और आपस में लड़ाई हुई थी। अर्थात् बचाव साक्षी ने आहत कैलाश को कैसे चोटें आईं, सयह नहीं देखा। ऐसे में दुर्घटना के फलस्वरूप गिरने से कैलाश को चोटें आने का जो आधार लिया है वह स्वमेव ही समाप्त हो जाता है और बचाव साक्षी ऐसी स्थिति में आरोपी/अपीलार्थी गण को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है और उसकी साक्ष्य ग्राह्य योग्य ही नहीं है। इसलिये कैलाश को पहुंची चोटें गिरने या दुर्घटना के फलस्वरूप आना तो कतई स्थापित नहीं होता है।
15. जहाँ तक यह प्रश्न है कि कैलाश को चोटें आरोपीगण ने मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में पहुंचाई या नहीं, इस बारे में अभिलेख पर केवल फरियादी कैलाश अ०सा०-1 और उसकी पत्नी सावित्री अ०सा०-2 ही साक्षी हैं जिनके अभिसाक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के आपराधिक कृत्य का मूल्यांकन करना होगा।
16. इस संबंध में आहत कैलाश अ०सा०-1 जो कि पीड़ित है, उसने यह साक्ष्य दी है कि घटना वाले दिन शाम के करीब 7.00 बजे जब वह गांव में रंग गुलाल खेलकर घर आया तो होरीलाल जो कि उसका स्वीकृत तौर पर सगा भाई है, उसने आकर कहा कि उसके समधी को गाली-गलौच क्यों की। कैलाश के मना करने पर होरीलाल ने पीछे से पकड़ लिया और प्रकाश ने उसे सामने से सिर में धारिया मारा। पप्पू विनोद और बृजेन्द्र भी मौजूद थे जिन्होंने उसे लात घूंसे व लाठी से मारा। पप्पू ने दांये हाथ की कलाई में लाठी मारी। और बृजेन्द्र ने लात घूंसे मारे थे। विनोद ने लाठी से मारा था। पत्नी बचाने आई तो उसे भी आरोपीगण ने मारा। चोट के संबंध में मुख्य परीक्षण में ही उसने स्पष्ट किया है कि उसकी पत्नी को केवल मूंदी चोटें आई थी इसलिये उसका मेडिकल नहीं कराया था।
17. इस तरह से कैलाश अ०सा०-1 के द्वारा पैरा-1 में बताये घटनाक्रम के अनुसार पप्पू के द्वारा दांये हाथ की कलाई में लाठी मारना वह कहता है जबकि पैरा-10 में उसने इस बात से इन्कार कर दिया है और यह स्पष्ट कहा है कि पप्पू ने उसे नहीं मारा था। पप्पू ने उसे लाठी भी नहीं मारी और यह

बात वह सही बता रहा है। लाठी उसे विनोद ने मारी थी। इसतरह से आरोपी पप्पू के संबंध में स्वयं घटना के फरियादी अ0सा0-1 का ही समर्थन नहीं है। तथा सावित्री अ0सा0-2 जिसे भी घटना का महत्वपूर्ण साक्षी बताया गया है क्योंकि वह भी पीड़िता बताई गई है और उसके द्वारा अपने पति कैलाश का बीच बचाव करना भी बताया है। उसने भी पप्पू के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पप्पू ने उसे सिर में लाठी मारी थी और पप्पू के द्वारा वह अपने पिता के सिर में भी लाठी मारना कहती है। जबकि कैलाश के सिर में लाठी की कोई चोट न तो अभियोजन के कथानक में बताई गई न ही मेडिकल रिपोर्ट में आया है। ऐसे में सावित्री अ0सा0-2 को घटना के तथ्यों के संबंध में समुचित जानकारी न होना प्रतीत होता है। विनोद के द्वारा वह अवश्य कैलाश को लाठी मारना बताती है। विनोद के बारे में कैलाश अ0सा0-1 भी पैरा-1 व 10 में ऐसा ही बताता है। पप्पू का और कोई कृत्य नहीं बताया गया है। चूंकि घटना घर के बाहर खुले स्थान की है और प्र0पी0-2 के नक्शामौका मुताबिक कैलाश, प्रकाश, होरीलाल, पप्पू के मकान एक ही लाईन में समानांतर बने हुए दर्शाये गये हैं। साक्ष्य मुताबिक घटना होली की दौज की है। ऐसे में घर के बाहर यदि पप्पू की उपस्थिति हो भी तो उसे केवल उपस्थित होने मात्र के आधार पर दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। जब तक कि उसका घटना कारित करने हेतु कोई प्रतिहेतुक या आशय न हो या अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर घटना कारित करने की कोई पूर्व मंत्रणा न हुई हो। अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें आरोपीगण का आपस में घटना कारित करने के पूर्व का कोई चिंतन होना नहीं बताया गया है। इसलिये पप्पू का केवल इस आधार पर कि वह होरीलाल का पुत्र व अन्य आरोपीगण का भाई है, घटना में शामिल होना नहीं माना जा सकता है। इसलिये आरोपी पप्पू उर्फ महेश को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-323 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित करने में निश्चित रूप से गंभीर विधिक त्रुटि की है। इसलिये आरोपी पप्पू उर्फ महेश के संबंध में प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य है। फलतः आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ महेश के संबंध में प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ महेश को धारा-323 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. जहाँ तक आरोपी/अपीलार्थी विनोद का प्रश्न है, विनोद के द्वारा भी कथानक में लाठी व लात घूँसों से मारना बताया गया है। लाठी से मारने का समर्थन कैलाश अ0सा0-1 के द्वारा स्पष्टतः अपने संपूर्ण अभिसाक्ष्य में किया गया है। पैरा-10 में उसने विनोद के द्वारा दाहिनी तरफ से खड़े होकर लाठी मारना बताया गया है जिसका समर्थन सावित्री अ0सा0-2 ने भी किया है। और अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिससे यह माना जावे कि कैलाश घटना वाले दिन भांग पीकर आया हो और गिर पड़ा हो। इसलिये कैलाश अ0सा0-1 की यह स्वीकारोक्ति कि होली में भांग पी जाती है, रंग गुलाल से खेला जाता है, इस आधार पर यह उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है कि कैलाश ने भी रंग गुलाल खेलने के साथ भांग पी होगी। इसलिये इस आशय का बचाव का आधार भी विधिक न होकर निर्बल है।

19. आरोपी विनोद के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य स्पष्ट है और उसकी विचाराधीन मामले की घटना में सलिप्तता अ0सा0-1 व 2 के अभिसाक्ष्य से भी प्रमाणित होती है। तथा उसके संबंध में इस आधार पर संदेह नहीं माना जा सकता है कि कैलाश की कलाई की चोट के बारे में मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में भिन्नता है। क्योंकि प्र0पी0-1 की रिपोर्ट में भी विनोद के द्वारा ही दांये हाथ की कलाई चोटें पहुंचाई जाना बताया गा है। मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0-4 से भी उसका समर्थन है इसलिये आरोपी विनोद को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-323 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध ठहराये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है इसलिये आरोपी विनोद के संबंध में प्रस्तुत दांडिक अपील सारहीन होने से दोषसिद्धि के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है और दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।
20. जहाँ तक आरोपी बृजेन्द्र का प्रश्न है, बृजेन्द्र के संबंध में कथानक मुताबिक लात घूँसों से मारना बताया गया है। बृजेन्द्र के द्वारा लात घूँसों से कैलाश को मारने के संबंध में स्वयं कैलाश अ0सा0-1 का स्पष्ट साक्ष्य है और उसके संबंध में प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है। बृजेन्द्र के द्वारा सावित्री को लात घूँसों से मारना बताया गया है। किन्तु सावित्री के संबंध में मामला विचारण न्यायालय से ही समाप्त हो गया है। बृजेन्द्र और सावित्री के संबंध में ऐसी कोई अन्यथा परिस्थिति भी प्रकट नहीं की गई हैं जिससे यह माना जावे कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी ओरसे ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वे बताई गई घटना के समय कहाँ थे इसलिये यह ही माना जावेगा कि वे घटना में सम्मिलित रहे हैं। अतः आरोपी बृजेन्द्र को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वेच्छया साधारण उपहति पहुंचाई जाने संबंधी अपराध धारा-323 भादवि में की गई दोषसिद्धि यथावत रखते हुए आरोपी/अपीलार्थी बृजेन्द्रसिंह के संबंध में प्रस्तुत दांडिक अपील अस्वीकार की जाती है।
21. जहाँ तक आरोपी/अपीलार्थी प्रकाश का प्रश्न है, प्रकाश के द्वारा कैलाश के सिर में धारिया से चोट पहुंचाई जाना कथानक में बताया गया है जिसका प्र0पी0-4 की मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट समर्थन है। स्वयं कैलाश अ0सा0-1 ने अपने संपूर्ण अभिसाक्ष्य में यह स्पष्टतः स्थापित किया गया है कि उसे प्रकाश ने धारिया सिर में मारा था। जैसा कि पैरा-1 व 7 में भी आया है। पैरा-10 में उसने यहाँ तक स्पष्ट किया है कि धारिया पैनी तरफ से मारा गया था और करीब आधा इंच सिर में घुस गया था। मेडिकल परीक्षण में कैलाश के सिर की चोट डेढ़ गुणित आधा इंच त्वचा की गहराई तक सिर के मध्य में आगे की ओर पाई गई है। मूल घटना भी इस बात को लेकर बताई गई है कि घटना की शुरुआत उसके या उसके पिता के समधी को कैलाश के द्वारा गाली-गलौच करने पर, उलाहना देते हुए प्रारंभ किया और प्रथम वार प्रकाश के द्वारा ही किया गया है। जिसके संबंध में सावित्री अ0सा0-2 ने भी स्पष्टतः समर्थन किया है। सावित्री का अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार करना कि उसके व उसके पति के मन में होरीलाल और उसके परिवार को ठिकाने लगाने, हिल्ले लगाने की बात थी। जैसा कि पैरा-7 में वह स्वीकार करती है।
22. पैरा-8 में उक्त साक्षी का स्वतः यह कहना कि आरोपीगण से रंजिश

चल रही थी। इसी कारण आरोपीगण के खिलाफ बस्ती व मकान को लेने के लिये झूठा केस किया है। इस आधार पर संपूर्ण मामले को खारिज किये जाने का तर्क बचाव पक्ष की ओर से है जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का स्पष्ट निष्कर्ष तो नहीं आया है किन्तु सावित्री अ0सा0-2 के संपूर्ण अभिसाक्ष्य को मूल्यांकित करने पर उसके द्वारा संभवतः यह बात आक्रोश या आवेश में आकर कही जाना परिलक्षित होती है। क्योंकि वह इस बात से किसी भी तरह से इन्कार नहीं करता है कि उसके पति के साथ मारपीट नहीं हुई और उसके पति को सिर में चोटें नहीं आई हों। उसके पति का गांव में रंग भंग खेलकर आना पैरा-6 में बताये जाने के आधार पर यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि कैलाश भांग पिये हुए था जिसके नशे में वह स्वयं गिर पड़ा हो और चोटें आई हों। क्योंकि यदि नशे में कोई व्यक्ति सख्त धरातल पर मुंह के बल या पीठ के बल या दांये या बांये तरफ हाथों के बल किसी भी प्रकार से गिरेगा तब भी जिस प्रकार की चोटें कैलाश को प्र0पी0-4 मुताबिक चोट क0-1 के रूप में आई हैं, वैसी आना संभव ही नहीं हैं। इसलिये सावित्री की उक्त बात जो कि रंजिश के कारण बताई गई है उसके आधार पर संपूर्ण मामले को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है न ही प्रकाश के संबंध में मामला संदिग्ध माना जा सकता है।

23. आरोपी/अपीलार्थी प्रकाश के संबंध में अभियोजन का मामला इस आधार पर भी संदिग्ध नहीं माना जा सकता है कि कैलाश अ0सा0-1 ने पैरा-4 व 5 में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट रात के 11.45 बजे लिखाई। उसके बाद रात 12.00 बजे वह डॉक्टर के निवास पर उपचार हेतु गया। अस्पताल नहीं गया। यह बात संभवतः प्र0पी0-1 में घटना की सूचना के समय में ओव्हरराइटिंग के आधार पर बताई जाना प्रतीत होती है जो विरोधाभाष की श्रेणी में तो आता है किन्तु वह इस स्वरूप का नहीं है कि संपूर्ण अभिसाक्ष्य को त्यागा जा सकता हो। और चिकित्सक डॉ0बी0अर्गल अ0सा0-4 से यह स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है कि उसने रात आकस्मिक परीक्षण अपने निवास पर किया क्योंकि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण करना कहता है। इसलिये अ0सा0-1 के पैरा-4 व 5 में आये तथ्यों से प्रकाश के संबंध में मामला सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

24. इस संबंध में दाण्डिक विधि में यह सुस्थापित सूक्ति है कि एक बात में मिथ्या तो सब बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारतवर्ष में लागू नहीं होता है क्योंकि दाण्डिक मामले का निराकरण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है जिसमें मूलतः यह देखना होता है कि अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है या नहीं। इसलिये कुछ विरोधाभाषों के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को त्यागा नहीं जा सकता है। जिस तरह की साक्ष्य अ0सा0-1 ने दी है उससे आरोपी/अपीलार्थी कैलाश के द्वारा उसे स्वेच्छया सख्त व धारदार हथियार धारिया से सिर में प्र0पी0-4 की चोट क0-1 कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। उसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार रूप में निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत पाया जाता है। प्रकरण के विवेचक का परीक्षण विरोधाभाष और विषंगतियों के स्पष्टीकरण हेतु नहीं कराया गया है। हालांकि उसे इस न्यायालय के मत

अनुसार कराया जाना चाहिए था। किन्तु उसके अभाव में भी अ0सा0-1 की अभिसाक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि धारा-134 साक्ष्य विधान में यह स्पष्ट उपबंध है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में एकल साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

25. कैलाश अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा पुलिस में की गई रिपोर्ट और न्यायालय में दी गई साक्ष्य रंजिश के आधार पर दी गई है। हथियार व कैलाश द्वारा सिर की चोट में बांधी गई साफी, जमीन पर गिरे खून को जप्त न किये जाने के आधार पर ही मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आहत व्यक्ति के संबंध में यह सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि आहत व्यक्ति घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति की इन्विल्ट गारंटी रखता है और उसके बारे में ऐसी उपधारण नहीं बनाई जा सकती है कि वह वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को झूठा आलिप्त करेगा। गांव, बस्ती और मकान का विवाद बचाव पक्ष की ओर से ही रखा गया है किन्तु मकान और बस्ती को लेने का विवाद कितना पुराना है, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है। इसलिये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि मकान व बस्ती को लेकर चल रहे विवाद के कारण ही मामला बनवाया गया हो। ऐसी स्थिति में आरोपी/अपीलार्थी प्रकाश के संबंध में प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील भी विधिसम्मत नहीं पाई जाती है। और उसके विरुद्ध धारा-324 भादवि में की गई दोषसिद्धि के बारे में उक्त अपील अपास्त करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

26. जहाँ तक आरोपी होरीलाल का प्रश्न है, होरीलाल के द्वारा कोई चोटें पहुंचाई जाना नहीं बताया गया है। केवल इतना बताया है कि होरीलाल ने कैलाश को पीछे से पकड़ लिया था और प्रकाश ने धारिया मारा था। सावित्री अ0सा0-2 के मुताबिक विवाद प्रकाश के समधी को लेकर प्रारंभ हुआ था। ऐसे में प्रकाश की सक्रियता स्पष्ट है। होरीलाल फरियादी कैलाश का सगा बड़ा भाई है उसके संबंध में कथानक मुताबिक होरीलाल के द्वारा गाली गलौच करना बताया गया जिसके संबंध में साक्ष्य नहीं आई है। अ0सा0-1 ने पैरा-10 में यह भी स्वीकार किया है कि होरीलाल पर कोई हथियार नहीं था। होरीलाल द्वारा कोई चोटें पहुंचाई जाना भी नहीं बताया गया है और अ0सा0-1 के पैरा-4 मुताबिक बस्ती का विवाद होरीलाल से ही है। कैलाश पैरा-4 में यह भी स्वीकार करता है कि वह पूरे गांव में होरीलाल के बारे में यह कहता है कि होरीलाल ने उसका मकान दबा लिया है। इससे होरीलाल के संबंध में यह अवश्य परिलक्षित होता है कि उसे संभवतः इसी रंजिश के आधार पर घटना में सम्मिलित बताया गया है। यदि होरीलाल के द्वारा घटना कारित करने का हेतुक और आशय होता तो वह भी कोई न कोई वस्तु लिये होता। यदि खाली हाथ होता तब भी वह कुछ न कुछ कृत्य(over act) करता। किन्तु होरीलाल द्वारा लात घूंसे से मारना भी नहीं बताया गया है। जबकि यदि वह वास्तविक रूप से सम्मिलित होता तो निहत्ता होने

पर लात घूंसें तो मार ही सकता था। ऐसा न होने से उसकी घटना में संलिप्तता अवश्य संदिग्ध है और उसके संबंध में अभियोजन का मामला अवश्य संदिग्ध माना जा सकता है। इसलिये आरोपी/अपीलार्थी होरीलाल को धारा-324/34 भादवि में की गई दोषसिद्धि उक्त कारणों अनुसार इस न्यायालय के मत में दूषित पाई जाती है। इसलिये होरीलाल के संबंध में प्रस्तुत उक्त दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा होरीलाल की धारा-324/34 भादवि में की गई दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाता है। अतः आरोपी होरीलाल को धारा-324/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

27. इस प्रकार से उपरोक्त चरणबद्ध तरीके से की गई साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों की समग्र विवेचना से आरोपी प्रकाश, बृजेन्द्र एवं विनोद की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि प्रमाणित होती है। आरोपी होरीलाल एवं पप्पू उर्फ महेश की दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को संदिग्ध पाया गया है। दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थीगण प्रकाश, विनोद और बृजेन्द्र के मामले को देखा जाये तो अभिलेख पर उक्त आरोपी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं होने से प्रथम अपराधी होना पाये जाते हैं। किन्तु उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है वह अनावश्यक है क्योंकि यदि किसी बात पर कोई उलाहना देने या कोई परिस्थिति को स्पष्ट करना हो तो बातचीत के माध्यम से उसका निराकरण हो सकता है। जबकि दोनों पक्ष एक ही कुटुंब के सदस्य भी रहे हैं। किन्तु जिस तरह की घटना कारित की गई है, वह अकारण है इसलिये दोषसिद्ध आरोपी/अपीलार्थीगण प्रकाश, विनोद एवं बृजेन्द्र को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

28. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी प्रकाश को धारा-324 भादवि के अपराध के लिये एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जो धारिया जैसे घातक अस्त्र से शरीर के मार्मिक अंग सिर में पहुंचाई गई। उक्त चोट को देखते हुए कतई कठोर और अविवेकपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। इसलिये आरोपी/अपीलार्थी प्रकाश के संबंध में दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी उसकी ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त कर उसकी दण्डाज्ञा की यथावत पुष्टि की जाती है। किन्तु आरोपी विनोद एवं बृजेन्द्र का जो कृत्य है जिसमें विनोद के द्वारा लाठी से शरीर के अमार्मिक अंग हाथ की कलाई पर चोटें पहुंचाई गई तथा विनोद के द्वारा लात घूंसें से ही केवल मारा गया है, जिसे देखते हुए छः माह का सश्रम कारावास का दण्डादेश निश्चित रूप से अधिक है क्योंकि उनके कृत्य को देखते हुए तीन माह का सश्रम कारावास अर्थदण्ड को यथावत रखते हुए पर्याप्त व उचित दण्डादेश होगा। इसलिये विनोद व बृजेन्द्र के संबंध में दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-323 भादवि में दिया गया 6-6 माह का सश्रम कारावास अपास्त करते हुए उसके स्थान पर 3-3 माह का सश्रम कारावास अर्थदण्ड को यथावत रखते हुए दिया जाता है। उनके सुपुरसेशन वारण्ट तैयार किये जावें तथा उन्हें सजा भुगताये जाने हेतु जेल

भेजा जावे। आरोपी प्रकाश की सजा यथावत रखी गई है इसलिये उसका विचारण न्यायालय के सजा वारण्ट को धारा-428 दप्रसं के संलग्न प्रमाण पत्र सहित सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे।

29. उक्त आरोपी/अपीलार्थीगण किसी भी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं। आरोपी/अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड में से घटना के पीडित कैलाश को कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलाई गई है जो धारा-357 दप्रसं के अंतर्गत दिलाई जाना आवश्यक है। अतः यह आदेश भी प्रसारित किया जाता है कि आरोपी/अपीलार्थीगण प्रकाश, विनोद एवं बृजेन्द्र के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया दो दो सौ रुपये कुल छः सौ रुपये अर्थदण्ड में से 500/-रुपये(पांच सौ रुपये) बतौर प्रतिकर फरियादी कैलाश पुत्र गैदाललाल निवासी ग्राम सैंथरी थाना मौ को अपील/निगरानी अवधि पश्चात विधिवत विचारण न्यायालय प्रदान करे। तथा दोषमुक्त किये गये आरोपी/अपीलार्थीगण होरीलाल एवं पप्पू उर्फ महेश के द्वारा जमा किये गये दो दो सौ रुपये का अर्थदण्ड भी अपील/निगरानी अवधि उपरान्त उन्हें विधिवत वापिस किया जावे। अपील/निगरानी होने पर माननीय अपील/निगरानी न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

31. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति नहीं है।

32. आरोपी/अपीलार्थीगण प्रकाश, विनोद व बृजेन्द्र को निर्णय की नकलें निःशुल्क प्रदान की जावें।

33. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक- 30.06.16

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड